वन–भू अभिलेख कक्ष

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/वनग्राम/ 853 भोपाल /दिनांक 23 / 09/10

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

प्रति,

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

वन वृत्त प्रभारी

मध्यप्रदेश

विषय : भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना.

संदर्भ : कार्यालयीन पत्र क्रमांक वनग्राम/695 दिनांक 30.08.10.

––00––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिससे आपको अवगत कराया गया था कि प्रदेश के 22 वनमंडलों में 27,039 हेक्टेयर निजी भूमि भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत वनखण्डों में सम्मिलित है। वन व्यवस्थापन के कार्य में प्रगति नहीं होने से निजी भूमि स्वामियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित वनखण्डों में सम्मिलित निजी भूमि की जानकारी विधान सभा प्रश्न क्रमांक 831 सत्र फरवरी–अप्रैल 2008, विधान सभा प्रश्न क्रमांक 65 जुलाई 2008 में प्रतिवेदित की गई थी। इस संबंध में वर्तमान में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी प्राप्त हुई है जो अभी आंशिक रूप से ही प्राप्त हुई है परन्तु इन तीनों जानकारियों में क्षेत्रफल के आंकड़ों में अंतर हैं। यह जानकारी उच्च स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जानी है। अतः आप अपने वृत्त के प्रभार के वनमंडलों की जानकारी सही–सही बनवाकर परीक्षणोपरांत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. अपर मुख्य सचिव (वन) द्वारा दिनांक 05.08.10 को उक्त कार्य की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। यह निर्णय लिया गया है कि वनमंडल स्तर पर कार्यपालक अधिकारियों का दल गठित कर वनखण्डों में शामिल निजी भूमि के खसरों का मिलान जिला कार्यालय के भू अभिलेख कक्ष के अभिलेखों से वर्ष 1950 या उसके आस–पास की अवधि के प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेखों से किया जाकर यह देखा जाना आवश्यक है कि उक्त अविध में यह खसरे शासकीय भूमि होकर बाद में पट्टे के रूप में/लीज पर वितरित तो नहीं किये गये है। इस निर्देश का पालन प्रतिवेदन आपसे अभी तक अपेक्षित है।

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.ग्रा./588 दिनांक 03.08.10 एवं पत्र क्रमांक व.ग्रा./604 दिनांक 06.08.10 से सभी मुख्य वन संरक्षकों को निजी भूमि के खसरों का सत्यापन दल गठित कर जिला कार्यालय से मिलान करने के निर्देश दिये गये थे। सत्यापन उपरांत जानकारी अभी भी अपेक्षित है।

(2)

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

116

वन–भू अभिलेख कक्ष

4. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निजी भूमि के खसरों के सत्यापन का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। वनखण्डों में सम्मिलित निजी भूमि के संबंध में अध्ययन हेतु उच्चस्तरीय समिति के समक्ष अभिलेख शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाना है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनग्राम/724 दिनांक 09 /09/10 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को लेख किया गया था कि यदि वन विभाग द्वारा निजी भूमि के खसरों का आधिपत्य वन विभाग द्वारा प्राप्त करना पाया जाता है या वनोपज का विदोहन वन विभाग द्वारा किया जाना पाया जाता है तो इसका विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में चाहा गया था। उपरोक्तानुसार प्रभावित समस्त आदिवासी परिवारों, उनकी भूमि का विवरण, भूमि पर स्थित वृक्षों की जिलेवार जानकारी वन विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराई जानी है।

5. अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी वृत्त प्रभारी अपने प्रभार के वृत्त में प्रवास कर उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त कार्य पूर्ण करावें।

(रमेश के. दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश